

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 36/2021 राजस्व अपील

1. रामप्रताप पुत्र पूनीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम दिवाकर उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोंडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय उपतहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा निर्णय दिनांक 6.11.2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामप्रताप मुकदमा संख्या 6/2020 अन्तर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

उपस्थिति : श्री अजय तिवाडी, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 29.04.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का बहरावण्डा द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त रामप्रताप पुत्र श्री पूनीराम निवासी ग्राम दिवाकर तहसील सिकराय जिला दौसा ने ग्राम दिवाकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 117 रकबा 0.01 है. पर सम्बत 2077 में अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय जेर अपील दिनांक 6.11.2020 पारित कर अपीलान्त को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व विवादित आराजी से बेदखल कर लगान दर्ज कर 50 गुणा शास्ति राशि की सजा आरोपित की है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 6.11.2020 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोंडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून नियम, उप नियम के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नहीं देकर कानून के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्त ने किसी भी गै.मु. रास्ते की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है कि अपीलान्त ने कौनसे रास्ते पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया है। अपीलान्त का पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण ही साबित नहीं है। अपीलान्त रामप्रताप द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार ग्राम दिवाकर में स्थित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटा लिया जाना एवं भविष्य में उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जाना व्यक्त करते हुये अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 6.11.2020 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम दिवाकर तहसील बहरावण्डा स्थित सिवायचक भूमि किस्म गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0100 है. पर कब्जा पडत कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 6.11.2020 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम कर 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त द्वारा ग्राम दिवाकर तहसील बहरावण्डा स्थित सिवायचक भूमि किस्म गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0100 है. पर कब्जा पडत कर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त आदेश पारित किया गया है। किन्तु अपीलान्त द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं किये जाने का अनुरोध किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम दिवाकर तहसील बहरावण्डा स्थित सिवायचक भूमि किस्म गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0100 है. पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.11.2020 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 06.11.2020 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से नकल हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से सुनवाया गया।



(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

